



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 108]
No. 108]

नई दिल्ली, रविवार, मार्च 17, 1985/फाल्गुन 26, 1906
NEW DELHI, SUNDAY, MARCH 17, 1985/PHALGUNA 26, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय डाक और तार विभाग
(डाक-तार महानिदेशक का कार्यालय)
नई दिल्ली, 16 मार्च, 1985

सं. १५०(अ).—फेडरल सरकार, भारत में तार अधिनियम, 1933 (1933 का 13) की धारा 7 और भारतीय वेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेडियो, दूरदर्शन और वीडियो कैसेट रिकार्डर सेट को अनाधिकारिक अपेक्षा से छूट के बारे में निम्नलिखित नियम बनाती है:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेडियो, दूरदर्शन और वीडियो कैसेट रिकार्डर (अनुज्ञप्ति से छूट) नियम, 1985 है।

(2) ये 17 मार्च, 1985 को प्रवृत्त होंगे।

2. रेडियो आदि को वेतार तार यांत्रिकी साधन नहीं समझा जाता—भारतीय वेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (i) के अनुसरण में उनके अन्वय में यह उपबंध किया जाता है कि रेडियो, दूरदर्शन और वीडियो कैसेट रिकार्डर सेट उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये वेतार तार यांत्रिकी साधन नहीं होंगे।

3. रेडियो आदि को अनुज्ञप्ति की अपेक्षा का लागू न होना—

(1) इन नियमों के प्रारम्भ पर और उनके पश्चात्:—

(क) वेतार रिसेंटर साधन अनुज्ञप्ति नियम, 1965 में किसी बात के होते हुए भी, रेडियो, दूरदर्शन और वीडियो कैसेट रिकार्डर का उपयोग करने के लिए उक्त नियमों के अर्थात् किसी अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं होगी।

(ख) भारतीय वेतार तार यांत्रिकी (कब्जा) नियम, 1965 में किसी बात के होते हुए भी, उक्त नियमों के अर्थात् रेडियो, दूरदर्शन और वीडियो कैसेट रिकार्डर सेट को कब्जे में रखने के लिये उक्त नियमों के अर्थात् किसी अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं होगी।

(ग) वाणिज्यिक प्रसारण रिसेंटर अनुज्ञप्ति (ओहोरां) नियम, 1965 में किसी बात के होते हुए भी रेडियो, दूरदर्शन या वीडियो कैसेट रिकार्डर सेट का वास्तव में उक्त नियमों के अर्थात् किसी अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं होगी।

(2) जहां किसी रेडियो, दूरदर्शन या वीडियो कैसेट रिकार्डर की वास्तविक वेतार रिसेंटर साधन अनुज्ञप्ति नियम, 1965 के अर्थात् फील्ड नंबर वर्ष 1986 या किसी पश्चात् वर्ष के लिये अनुज्ञप्ति फॉर्म संदर्भ की गई है वहां ऐसी फॉर्म का प्रतिदाय उसी रीति से किया जाएगा जिन प्रकार उक्त नियमों के अन्वय में उक्त नियमों के अर्थात् किसी अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं होगी।

[सं. 1-1/82-वी. आर. एन]

प्यारा सिंह, महाप्रकाशक महानिदेशक (वी. आर. एन)

(1)

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT

(Office of the Director-General of Posts and Telegraphs)

New Delhi, the 16th March, 1985

G. S. R. 150(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and section 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules regarding exemption of radio, television and video cassette recorder sets from licensing requirements, namely:—

1. Short title and commencement:—(1) These rules may be called the Radio, Television and Video Cassette Recorder Sets (Exemption from Licensing Requirements) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the 17th day of March, 1985.

2. Radios, etc. not to be deemed to be wireless telegraphy apparatus.—It is hereby provided in pursuance of clause (1) of sub-section (2) of section 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) that radio, television and video cassette recorder sets shall not be wireless telegraphy apparatus for the purposes of the said Act.

3. Licensing requirements not to apply to radios, etc.—(1) On and after the commencement of these rules,—

(a) notwithstanding anything contained in the Licensing of Wireless Receiving Apparatus Rules, 1965, no licence shall be required under the said rules for working radio, television or video cassette recorder sets;

(b) notwithstanding anything contained in the Indian Wireless Telegraphy (Possession) Rules, 1965, no licence shall be required under the said rules for being in possession of radio, television or video cassette recorder sets;

(c) notwithstanding anything contained in the Commercial Broadcast Receiver Licensing (Dealers) Rules, 1965, no licence shall be required under the said rules in respect of radio, television or video cassette recorder sets.

(2) Where licence fees have been paid under the Licensing of Wireless Receiving Apparatus Rules, 1965, in respect of any radio, television or video cassette recorder set for the calendar year 1986 or any subsequent calendar year, refund shall be granted of such fees in the same manner as in the cases referred to in the proviso to rule 8 of the said rules.

[No. 1-1/82—BRL]

PYARA SINGH, Asstt. Director General (BRL)